-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में थाना बबेरु क्षेत्र में पत्नी की गला घोटकर हत्या करने वाले पति को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सश्रम आजीवन कारावास कारावास व 05 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पवइया में पत्नी की गला घोटकर हत्या करने वाले पति को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम मिलाथू के रहने वाले लक्ष्मी ने दिनांक 07.09.2021 को थाना बबेरु पर सूचना दी कि दिनांक 02.09.2021 को उनकी पुत्री उर्मिला की उसके ससुरालीजनों द्वारा मारपीट कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना बबेरु पर मु0अ0सं0 286/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बबेरु श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा गहनता एवं प्रभावपूर्ण तरीके से तकनीकि एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए अभियुक्त बुद्धु उर्फ बुधुवा पुत्र नत्थू निवासी पवइया थाना बबेरु जनपद बांदा को दिनांक 08.09.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 25.11.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा देवी तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **बुद्धु उर्फ बुधुवा पुत्र नत्थू निवासी पवइया थाना बबेरु जनपद बांदा।**